Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.249
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2410III02V12P0005

e-ISSN No. 2394-8426
Special Issue on Scientific Research
Issue–III(II), Volume–XII

हिंदी भाषा की विविध भूमिकाएँ

नाम- अजय (शोधार्थी)
हिंदी विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
मोबाइल नंबर- 8427221679,
ई-मेल- ajay58883@gmail.com

सारांश- हिंदी भाषा की कई महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं, जो इसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्त्व को दर्शाती हैं। इसकी भूमिकाओं को अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है जैसे राजभाषा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि संघ सरकार के कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी गई है। हिंदी, भारत के विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है। इसका मतलब यह है कि जब विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग एक-दूसरे के साथ संवाद करते हैं, तो हिंदी एक सामान्य माध्यम के रूप में प्रयोग होती है। इसको सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी भाषा भारत के कई राज्यों में शिक्षा का माध्यम भी है। यह भाषा भारतीय संस्कृति और साहित्य की समृद्ध धरोहर का संवाहक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है।

बीज शब्द- हिंदी भाषा, राजभाषा, संपर्कभाषा, राष्ट्रभाषा।

भाषा व्यक्ति और समाज की वह पहचान है जिसके सहारे समाज और राष्ट्र की अस्मिता की अभिव्यक्ति होती है। भाषा, मानव समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मनुष्य के विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और क्रिया-कलापों की अभिव्यंजना का सशक्त माध्यम है जिसे मानव सभ्यता का यथार्थ कहा गया है।

हिंदी भाषा संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसका भारत के अधिकांश राज्यों में सरकारी अथवा गैर सरकारी तौर पर प्रयोग किया जाता है। वैश्विक संदर्भ में यदि बात की जाये तो हिंदी कई देशों में कहीं अधिक तो कहीं आंशिक तौर पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अपनी विविध भूमिकाओं में हिंदी जनभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूपों में बहुमुखी उत्तरदायित्व का पालन कर रही है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में रखकर समझा जा सकता है-

1. **हिंदी : मातृभाषा के रूप में**- "माता की गोदी से सीखी जाने वाली बोली मातृभाषा कहलाती है। इसे 'क्षेत्रीय भाषा' भी कहते हैं। बच्चे की शिक्षा में उसकी मातृ-भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है और सर्वथा स्वाभाविक है कि उसे सभी विषयों की शिक्षा इसी भाषा के माध्यम में दी जाए।"[i] मातृभाषा की अब तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से यह माना

जाता है कि "जिस भाषा का ज्ञान हमें बोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के समय से ही प्राप्त होने लगता है और आयु के विकास के साथ-साथ जिस पर हमारा अधिकार बढ़ता जाता है वह भाषा मातृभाषा है।"[ii] इसी संदर्भ में यह आमतौर पर कहा जाता है कि व्यक्ति का सबसे ज्यादा अधिकार उसकी मातृभाषा पर होता है और निश्चित रूप से उसकी मातृभाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का सहज और सशक्त माध्यम है। "सन 1991 तक के जनसंख्या आकलन के अनुसार देश की करीब पैंतालीस प्रतिशत जनता की मातृभाषा या प्रथम भाषा हिंदी है। अगर विश्व समुदाय के उन प्रवासी भारतीय लोगों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाय जिनकी मातृभाषा हिंदी है तो निश्चित रूप में इस संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।"[iii] जिन राज्यों में हिंदी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में किया जाता है वो हैं- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, झारखण्ड आदि राज्य आते हैं।

2. **हिंदी : राष्ट्रभाषा के रूप में**- राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की वाणी होती है और यदि इसके क्षेत्र की बात की जाये तो यह अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। "सामान्यतया जिस भाषा का प्रयोग समस्त राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग करते हैं, जिसे अधिक से अधिक लोग लिख, बोल और समझ सकते हैं और जो भाषा राष्ट्र की आत्मा को पहचानकर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस दृष्टि से हिंदी ही सभी भाषाओं में ऐसी भाषा रही, जिसकी सार्वदेशिकता ने इसे आसानी से राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया था।"[iv] स्पष्ट है कि जब कोई बोली राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का प्रतीक बन जाती है जिसका प्रयोग एवं व्यवहार पूरे देश में अथवा देश के अधिकांश भाग में आरंभ हो जाता है, जो राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। "यह राष्ट्रभाषा अपने भीतर सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना को समाहित किए हुए रहती है। जो किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। जो अन्तः प्रान्तीय सम्पर्क के लिए संपर्क सेतु का कार्य करती है। जिस भाषा के अन्दर से समूचा राष्ट्र बोलता है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है।"[v] इसी संदर्भ में सुभाषचन्द्र बोस ने भी हिंदी की इसी क्षमता और शक्ति की पहचान करते हुए कहा था- "देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है- देश भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनेपन का होना। यदि आज हिन्दी मान ली गई है, तो वह अपनी सरलता, व्यापकता और क्षमता के कारण। पह किसी प्रान्त विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि

सारे देश की भाषा है।"[vi] स्पष्ट है कि संवैधानिक रूप से न सही किन्तु व्यावहारिक रूप में हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा है।

3. **हिंदी : राजभाषा के रूप में**- हिंदी भारत की राजभाषा है। "हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।"[vii] आमतौर पर जिस भाषा में सरकारी कार्य संपन्न होते हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है, अतः उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जा सकती है, जो सरकारी कामकाज की भाषा हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था मिलती है जिसमें संघ की भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया है। "भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत का संविधान ग्रंथ के रजत जयंती संस्करण के पृष्ठ- 185-160 में 'संघ की भाषा' के रूप में हिंदी का उल्लेख इस प्रकार किया गया है- अध्याय-1 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।"[viii] स्पष्ट है कि हिंदी ही भारत की राजभाषा है।

4. **हिंदी : साहित्यिक या मानक भाषा के रूप में**- साहित्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को साहित्यिक या रचनात्मक भाषा कहते हैं। यह व्याकरण के नियमों से बँधी होती है। इसका प्रयोग ज्यादातर सुशिक्षित और रचनात्मकता से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। डॉ. जितेंद्र वत्स ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, "हिंदी की रचनात्मक या साहित्यिक भाषा व्याकरण-सम्मत होने के कारण पूरे भारत में लगभग एक ही रूप में व्यवहृत होती है। इसलिए यह अब मानक भाषा की मान्यता प्राप्त कर चुकी है। हिंदी भाषा का कोई भी साहित्यकार भारत के किसी क्षेत्र में सर्जनरत हो या हिंदी भाषी रचनाकार विश्व के किसी कोने में साहित्य-कार्य से जुड़ा हो, इसकी साहित्यिक भाषा हिंदी की मानकता के आस-पास ही घूमती है।"[ix] स्पष्ट है कि साहित्यिक या मानक हिंदी व्याकण के अधिक निकट होती है और इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है।

5. **हिंदी : संपर्क भाषा के रूप में**- भाषा वह परिधान है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों ,अनुभूतियों, आदर्शों, आकांक्षाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। भाषा ही वह एकमात्र साधन है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है।

भारत में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं इसीलिए विभिन्न भाषाई राज्यों में रहने वाले लोगों को आपस में संपर्क करने या अपने को अभिव्यक्त करने के लिए एक आम भाषा की सख्त ज़रूरत होती है। अभिव्यक्ति या संपर्क स्थापित करने के लिए एकमात्र सशक्त माध्यम भाषा ही है। "संपर्कभाषा का प्रयोग अंग्रेज़ी लिंक लैंग्विज के प्रतिशब्द के रूप में हुआ है। संपर्क भाषा का अर्थ है वह भाषा जो दो ऐसे के बीच संपर्क स्थापित करने का काम करे, जिनकी अपनी भाषाएँ एक न हों।"[x] डॉ. पवूर शशीन्द्रन ने हिंदी को संपर्क भाषा स्वीकार करते हुए कहा है कि "संपर्क भाषा हिंदी की और एक विशेषता यह है कि वह चिरन्तन भारतीय एकता का प्रभावशाली साधन है। दरअसल वह हमारी आत्माभिव्यक्ति की भाषा है। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ शासन करते थे तब हिंदी ने हमारे सामासिक संस्कृति वाले राष्ट्र की भावात्मक एकता को बनाये रखने का प्रयास किया, उसी हिंदी ने अपनी शक्ति से भारतीय जन-नेताओं को एक सूत्र में बांध दिया।"[xi] इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है।

6. **हिंदी : इंटरनेट की भाषा के रूप में**- इंटरनेट इस युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। यह विश्व भर में फैले कंप्यूटरों का व्यवस्थित जाल है जिसमें सभी कंप्यूटर संचार तकनीकों से आपस में जुड़े होते हैं, इसके साथ ही इसमें उपभोक्ता अपनी मनचाही पुस्तक, सूचनाएँ और संगीत फिल्म कुछ ही क्षणों में देख सुन सकते हैं। इस सूचना तकनीक का प्रभाव समाज के हर वर्ग, समूह, उद्योग पर पड़ा। जिससे भारत की राजभाषा हिंदी भी अछूती नहीं है। "भारत सरकार के कार्यालयों में पुणे की कंपनी सी-डेक के उत्पाद प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। जिस्ट कार्ड, जिस्टशैल आदि सी–डेक के वे उत्पाद हैं जिनकी सहायता से सभी अनुप्रयोगों गैर-सरकारी कंपनियों ने भी हिंदी में इंटरनेट सुविधा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो विंडोज़ तथा एम. एस. ऑफिस वातावरण में कार्य करते हुए हिंदी का स्पेल चेक, ऑन लाइन डिक्शनरी, मैचिंग फॉंट, एच.टी.एम.एल. सपोर्ट आदि सुविधा से युक्त हैं। इनमें रूपा, सुचिता, अंकुर, प्रकाशक, आकृति, आकृत ऑफिस, अक्षर फार विंडोज, ए.पी.एस. चित्रलेखा, विंकी आदि प्रसिद्ध हैं। देवबेस, अक्षर, शब्द रत्न

सुलिपि आदि सॉफ्टवेयर डॉस वातावरण में कार्य करते हुए केवल हिंदी और अँगरेज़ी में शब्द-संसाधन की सुविधा देते हैं।"[xii] इसके अलावा हिंदी भाषा से जुड़े मुख्य पोर्टल निम्नलिखित हैं-

- "www.webduniya.com (यह विश्व का पहला हिंदी भाषी पोर्टल है।)
- www.netjall.com (यह भारत की ग्यारह भाषाओं में उपलब्ध एकमात्र भारतीय पोर्टल है।)
- www.jagran.com (यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदी पोर्टल है।)"[xiii]

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है जिसमें भारत के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी कामकाज किये जाते हैं। इसके साथ ही इसे हिंदी भाषा-भाषी राज्यों की मातृभाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। यह भारत की आत्माभिव्यक्ति का माध्यम है। आधुनिक दौर में हिंदी इंटरनेट की भाषा भी है।

---

[i] पृथ्वीनाथ पाण्डेय, सामयिक प्रयोजनमूलक हिंदी, नई दिल्लीः सुनील साहित्य सदन, 2015, पृष्ठ-32-33

[ii] प्रो. सूरजभान सिंह, हिंदी भाषा संदर्भ और संरचना, दिल्लीः साहित्य सहकार, 2008, पृष्ठ-167

[iii] डॉ. प्रेमचन्द्र, विश्व में हिंदी, नई दिल्लीः तक्षशिला प्रकाशन, 2015, पृष्ठ-26

[iv] डॉ. गायत्री हीरामन बोस(संपा), राष्ट्रभाषा हिंदी (अनुवाद समस्याएँ एवं अशुद्धि संशोधन), दिल्लीः राष्ट्रभाषा संस्थान, 2014, पृष्ठ-7

[v] डॉ. मीना शर्मा, हिंदी भाषाः मीडिया और सर्जनात्मक लेखन, गाजियाबादः तरुण प्रकाशन, 2007, पृष्ठ- 67

[vi] वही, पृष्ठ-67

[vii] अरुण कुमार, कार्यालय एवं व्यावहारिक हिंदी, दिल्लीः श्रेया प्रकाशन, 2018, पृष्ठ-56

[viii] डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण एवं मानकीकरण, कानपुरःविकास प्रकाशन, 2005, पृष्ठ-12-13

[ix] डॉ. जितेंद्र वत्स, प्रयोजनमूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयुक्ति, दिल्लीःनिर्मल पब्लिकेशन्स, 2005, पृष्ठ-15

[x] भोलानाथ तिवारी और मुकुल प्रियदर्शिनी, हिंदी भाषा की सामाजिक भूमिका, मद्रासः दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 1982, पृष्ठ- 65

[xi] डॉ. पवूर शशीन्द्रन, संपर्क भाषा हिंदी और आकाशवाणी, नई दिल्लीः सार्थक प्रकाशन, 1998, पृष्ठ-23

[xii] डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण एवं मानकीकरण, कानपुरःविकास प्रकाशन, 2005, पृष्ठ-147-148

[xiii] वही, पृष्ठ-148